FAQ

1. **Who is eligible to participate in the mop-up/stray vacancy phase?**

   Answer: All candidates who participated in previous rounds and all candidates registering for the mop-up/stray vacancy will be eligible to participate in the mop-up/stray vacancy.

2. **What are the provisions for upgrading in the mop-up/stray vacancy?**

   Answer: All candidates who participated in previous rounds can apply for upgrading in the mop-up/stray vacancy by filling in their new choices. However, it should be noted that the allocation of seats in the mop-up/stray vacancy will be based on the available seats in the seat matrix and the order of merit. (Candidates are advised to fill only those options they wish to upgrade to.) If new choices are filled during the mop-up/stray vacancy and a seat is upgraded, the previously allotted seats will be canceled. Additionally, candidates must report to the upgraded seat according to the mop-up/stray vacancy reporting rules.

3. **Is it mandatory for candidates upgrading in the mop-up/stray vacancy to report to the Counselling board office?**

   Answer: Yes, if a candidate is allotted a college different from the first/second/third rounds, they must personally report to the Counselling board office (**AYUSH BHAWAN**, Pratap Nagar, Jaipur) with the required documents and allotment letter to receive the fee receipt for the new college. If the fee is higher than the previously deposited fee, the remaining amount must be deposited in the form of a Demand Draft at the Counselling board office.

4. **Is it mandatory for candidates who do not upgrade in the mop-up/stray vacancy to report to the Counselling board office?**

   Answer: No, if a candidate's college remains unchanged, reporting to the Counselling board office is not mandatory. Such candidates should report directly to the previously allotted college within 2 days.

5. **Can a candidate report directly to the college for the allotted seat in the mop-up/stray vacancy?**
   Answer: No. A candidate must report to the Counselling board office (**AYUSH BHAWAN**, Pratap Nagar, Jaipur) before reporting to the college for the upgraded seat and must report to the newly allotted college within 2 days.
6. **What happens if a candidate upgrades in the mop-up/stray vacancy but fails to report to the Counselling board in time?**
   Answer: If a candidate is upgraded in the mop-up/stray vacancy and fails to report to the Counselling board **(AYUSH BHAWAN,** Pratap Nagar, Jaipur) within the stipulated time, they will be considered absent, and their seat will be treated as vacant.
   The Counselling fee/security fee will be forfeited. Therefore, all candidates are advised to fill only those options they wish to upgrade to and must report to the Counselling board after upgrading.
7. **Can candidates who upgrade in the mop-up/stray vacancy retain their previously allotted college?**
   Answer: No, because the seat allocated in the previous rounds will be automatically cancelled upon upgrading (i.e., that seat will be allotted to someone else). If a candidate's college changes, they must report to the Counselling board (**AYUSH BHAWAN**, Pratap Nagar, Jaipur) to obtain the necessary documentation for the newly allotted college and must report to the allotted college within 2 days.
8. **What are the provisions regarding Counselling fees/security amounts in the mop-up/stray vacancy? Answer:**
   If a candidate is allotted a college in the second/third/mop-up/stray vacancy and fails to report to the Counselling board within the stipulated time, their Counselling fee/security fee will be forfeited.
9. **What provisions are there for colleges approved by the honourable court?**
   Answer: Admissions to colleges approved by the honourable court will be subject to the final decision of the honourable court. Candidates must also submit an affidavit stating:

- I, -----------son/daughter of Shri ………., declare under oath that my admission is for the college/course session 2024-25.
- I am aware that the said college has received admission permission from the interim orders of the honourable High Court of Rajasthan in the writ No…………………
- I acknowledge that the status of my admission is subject to the final decision of the honourable High Court, and I will bear all responsibilities related to it.

10. Are there provisions for candidates already admitted to state quota seats after the allocation of seats in the all-India quota?

Answer: If a candidate is allotted a seat through the all-India quota, they must surrender their seat in the state quota and take admission only in the seat allotted by the all-India quota; otherwise, their admission will be deemed invalid in both places. (Candidates declared ineligible by the all-India quota will also be considered ineligible for the state quota and must surrender the seat allocated in the state quota.)

FAQ

01. मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी चरण में भाग लेने के लिए कौन -कौन पात्र है ?

उत्तर :- पूर्व के चरणो में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी व मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में नवीन रजिस्ट्रेशन करने वाले समस्त अभ्यर्थी मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में भाग लेने के लिए पात्र होंगें।

02. मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में अपग्रेड करने के क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर :- पूर्व के चरणो में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में अपनी नवीन चॉर्ब्इस भरकर अपग्रेड हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु यहां यह विदित है कि मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में सीटों का आवंटन सीट मेट्रिक्स में उपलब्ध सीटों व वरियता क्रम के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। (यहां अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्ही विकल्पों को भरे जो वो अपग्रेड मे जाना चाहते है।) यदि **मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी** के दौरान नए विकल्प भरने पर करने पर सीट अपग्रेड हो जाती है, तो पहले आवंटित R-1/R-2/R3 सीट रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार को **मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी** रिपोर्टिंग नियमों के अनुसार **मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी** अपग्रेडेड सीट पर शामिल होना होगा।

03. क्या मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य है ?

उत्तर :- हाँ, यदि किसी अभ्यर्थी को **प्रथम/द्वितीय/तृतीय** चरण से भिन्न कोई महाविद्यालय आवंटित होता है तो उन अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) (कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गये प्रपत्र एवं अलॉटमेन्ट लेटर) के साथ कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में व्यक्शि: उपस्थित होकर नवीन महाविद्यालय की फीस रसीद प्राप्त करनी होगी साथ ही फीस की राशि यदि पूर्व में जमा फीस से अधिक है तो शेष राशि का डी.डी. कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में जमा करवाना होगा।

04. क्या मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में अपग्रेड नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य है ?

उत्तर :- नहीं, यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन नहीं हुआ है तो कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य नहीं है। वो अभ्यर्थी सीधे ही पूर्व के चरणों आवंटित महाविद्यालय मे 02 दिवस के भीतर रिर्पोट करें।

05. क्या कोई अभ्यर्थी मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में आवंटित सीट पर सीधे महाविद्यालय में रिर्पोट कर सकता है?

उत्तर :- नहीं। अभ्यर्थी को **मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में** अपग्रेडेड सीट पर महाविद्यालय में रिर्पोट करने से पूर्व कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा तथा नवीन आवंटित महाविद्यालय की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) प्राप्त कर आवंटित महाविद्यालय में 02 दिवस में रिर्पोट करना अनिवार्य होगा।

06. यदि कोई अभ्यर्थी मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में यदि अपग्रेड होता है तथा निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करने में विफल रहता है तो आवंटित सीट का क्या होगा ?

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी को **मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में** चरण में पूर्व के चरणो में आवंटित सीट से यदि अपग्रेड होता है तथा निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में रिर्पोट करने में विफल रहता है तो उसको अनुपस्थित मानकर उसकी सीट को वेकेन्ट सीट माना जाएगा काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी, अतः यहां पुनः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्ही विकल्पों को भरे जो वो अपग्रेड मे जाना चाहते है। तथा अपग्रेड के पश्चात अनिवार्य रूप से काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में रिर्पोट करें।

07. क्या मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी में अपग्रेड हाने वाले पूर्व के चरणो में आवंटित महाविद्यालय को बरकरार रख सकते हैं ?

उत्तर :- नहीं, क्योंकि अपग्रेड होने के कारण पूर्व के चरणो आवंटित की गई सीट तुरंत स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी (यानी, वह सीट किसी और को आवंटित कर दी जाएगी) साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन हुआ है, तो उसको कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड **(आयुष भवन प्रताप नगर, जयपुर)** में व्यक्तिशः उपस्थित होकर नवीन आवंटित महाविद्यालय की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) प्राप्त करनी होगी तथा **मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी** में आवंटित महाविद्यालय में 02 दिवस में रिर्पोटिंग करनी अनिवार्य होगी।

08. क्या मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी अमाउन्ट संबन्धित क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी को **द्वितीय/तृतीय/मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी** एवं चरण में कोई महाविद्यालय आंवटित होता है तथा अभ्यर्थी निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करने मे असमर्थ रहता है तो उसकी काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी।

09. माननीय न्यायालय के द्वारा अनुमत महाविद्यालय के लिए क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर :- माननीय न्यायालय द्वारा अनुमत महाविद्यालयों में प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहेगा। साथ ही अभ्यर्थीयों को एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि

- मैं पुत्र/पुत्री श्री उम्र शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ कि मेरा प्रवेश महाविद्यालय/पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में हुआ है।
- मुझे ज्ञात है कि उक्त महाविद्यालय को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंतरिम आदेशों पर प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई है।
- मुझे ज्ञात है कि मेरे उपर्युक्त प्रवेश की स्थिति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

10. अखिल भारतीय कोटे में सीट आवंटन से पश्चात् भी क्या राज्य कोटे की सीट पर पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान हैं ?

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी को AACCC द्वारा आखिल भारतीय कोटे से कोई सीट आवंटित होती है तो उसको राज्य कोटे की सीट पर से अनिवार्य रूप से सरेण्डर कर आखिल भारतीय कोटे AACCC द्वारा आवंटित सीट पर ही प्रवेश लेना होगा अन्यथा उसका प्रवेश दोनो जगह से निरस्त माना जाएगा। (AACCC द्वारा अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी राज्य कोटे पर भी अयोग्य माने जाऐगें। साथ ही उनको राज्य कोटे से आवंटित सीट को अनिवार्य रूप से सरेण्डर करना होगा।)